

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-01102026-276704
SG-DL-E-01102026-276704असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 294]	दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2026/आश्विन 8, 1948	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 237
No. 294]	DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2026/ASVINA 8, 1948	[N. C. T. D. No. 237

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 30 सितंबर, 2026

फा. सं. डीओई-ए2/117/2026-पीएसबी-शिक्षा निदेशालय-पार्ट (1)/5983.— जबकि, सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 23 के साथ पठित दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1973 (1973 का 18) की धारा 28 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित दिल्ली विद्यालय शिक्षा (संशोधन) नियमावली, 2026 के प्रारूप को शिक्षा निदेशालय की दिनांक 10 अगस्त, 2026 की अधिसूचना संख्या फा.डीओई -ए2/117/2026-पीएसबी-शिक्षा निदेशालय- पार्ट (1)/5414 के माध्यम से दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग IV, संख्या 232 [एनसीटीडी संख्या 162] में प्रकाशित किया गया था जिसमें आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों के भीतर इससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

और जबकि, उक्त अवधि के भीतर कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ;

और जबकि, केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय के दिनांक 17 सितंबर, 2026 के पत्र संख्या यू-11019/6/2026-यूटीएल

के माध्यम से अपना पूर्व अनुमोदन दे दिया है, जिसमें शिक्षा मंत्रालय के विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का दिनांक 17 सितंबर, 2026 का कार्यालय ज्ञापन संख्या फा.सं. 5-11/2026-यूटी संलग्न है;

अब इसलिए, दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1973 (1973 का 18) की धारा 2 के खंड (क) के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद्वारा दिल्ली विद्यालय शिक्षा नियमावली, 1973 में आगे संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

(1) इन नियमों को दिल्ली विद्यालय शिक्षा (संशोधन) नियमावली, 2026 कहा जाए।

(2) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. नियम 44 में संशोधन

दिल्ली विद्यालय शिक्षा नियमावली, 1973 के नियम 44 में उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(3) प्रशासक, उप-नियम (2) के अंतर्गत उसे दी गई सूचना में निर्दिष्ट विवरणों पर विचार करने के पश्चात तथा ऐसी जाँच करने के पश्चात, जैसा वह उचित समझे, उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को सूचित कर सकता है जिनके द्वारा सूचना दी गई थी कि प्रस्तावित नए विद्यालय का खोलना जनहित में होगा या नहीं।”

यह भी उपबंधित है कि इस उप-नियम में निहित कोई भी बात संस्थागत भूमि जो सरकार या नगर निगम से रियायती दर पर या नीलामी के माध्यम से प्राप्त की गई हो और जो मौजूदा नियमों और विनियमों के अधीन हो, को छोड़कर किसी निजी विद्यालय पर लागू नहीं होगी, जिसे किसी संस्था या सार्वजनिक न्यास द्वारा निजी स्वामित्व वाली वाणिज्यिक भूमि पर स्थापित करने का प्रस्ताव हो।

आगे यह भी उपबंधित है कि यदि कोई सोसायटी या सार्वजनिक ट्रस्ट किसी नए निजी विद्यालय की स्थापना हेतु सरकार या नगर निगम से रियायती दर पर या नीलामी के माध्यम से संस्थागत भूमि खरीदना या प्राप्त करना चाहता है तो उसे ऐसी खरीद या आवंटन से पहले प्रशासक से संबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित विद्यालय की आवश्यकता के संबंध में अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। प्रशासक उप-नियम (2) में निर्दिष्ट विवरणों पर विचार करने तथा ऐसी जांच करने के पश्चात जैसा वह उचित समझे, ऐसा प्रमाण पत्र जारी कर सकता है।

3. नियम 50 में संशोधन

दिल्ली विद्यालय शिक्षा नियमावली, 1973 के नियम 50 में खंड (ii) का विलोप कर दिया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,

डॉ. दिलराज कौर, प्रमुख सचिव (शिक्षा)

DIRECTORATE OF EDUCATION**NOTIFICATION**

Delhi, the 30th September, 2026

F. No. DOE-A2/117/2026-PSB-EDUCATION DIRECTORATE-Part(1)/5983.— Whereas a draft of the Delhi School Education (Amendment) Rules, 2026 was published, as required by sub-section (1) of section 28 of the Delhi School Education Act, 1973 (18 of 1973), read with section 23 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), vide notification of the Directorate of Education F. No. DOE-A2/117/2026-PSB-EDUCATION DIRECTORATE-Part(1)/5414, dated the 10th August, 2026, in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV, No. 232 [N.C.T.D. No. 162], inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within thirty days from the date of its publication in the Official Gazette;

And whereas no objection or suggestion was received within the said period;

And whereas the Central Government has conveyed its previous approval vide Ministry of Home Affairs letter F. No. U-11019/6/2026-UTL, dated the 17th September, 2026, enclosing Office Memorandum F. No. 5-11/2026-UT, dated the 17th September, 2026, of the Department of School Education and Literacy, Ministry of Education;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 28 read with clause (a) of section 2 of the Delhi School Education Act, 1973 (18 of 1973), and with the previous approval of the Central Government, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules further to amend the Delhi School Education Rules, 1973, namely:-

1. Short title and commencement

- (1) These rules may be called the Delhi School Education (Amendment) Rules, 2026.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 44

In the Delhi School Education Rules, 1973, in rule 44, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(3) The Administrator may, after considering the particulars specified in the intimation given to him under sub-rule (2) and after making such inquiries as he may think fit, inform the person or persons by whom the intimation was given whether or not opening of the proposed new school would be in the public interest:

Provided that nothing contained in this sub-rule shall apply to a private school proposed to be established by a society or public trust on privately owned commercial land, other than institutional land obtained from the Government or a Municipal Corporation at a concessional rate or through auction, subject to extant rules and regulations:

Provided further that a society or public trust which intends to purchase or otherwise obtain institutional land from the Government or a Municipal Corporation at a concessional rate or through auction for establishing a new private school shall, before such purchase or allotment, obtain from the Administrator an Essentiality Certificate regarding the need for the proposed school in the concerned locality. The Administrator may, after considering the particulars specified in sub-rule (2) and making such inquiries as he may think fit, issue such certificate.”

3. Amendment of rule 50

In the Delhi School Education Rules, 1973, in rule 50, clause (ii) shall be omitted.

By Order and in The Name of Lieutenant Governor
of National Capital Territory of Delhi,

DR. DILRAJ KAUR, Principal Secy. (Education)